

प्रेषक,

धीरज पाण्डे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

- 1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30 प्र0, लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी, सीतापुर, कानपुर देहात, मुरादाबाद, गोरखपुर, जालौन, महोबा, रामपुर, बाराबंकी, सोनभद्र, बांदा, गाजीपुर, आगरा, महाराजगंज, मैनपुरी, उन्नाव।

राजस्व अनुभाग-4

लखनऊ दिनांक 31 अक्टूबर, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला प्रशासन हेतु निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहन क्रय किये जाने हेतु अन्तर धनराशि की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद के पत्र संख्या-4254/12-07/विविध/2007, टी0सी0 दिनांक 28-09-2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-5/2017/1336/एक-4-2017-रा-4 दिनांक 15-09-2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला प्रशासन अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपये 500 लाख में से विभिन्न जनपद/तहसील स्तर के अधिकारियों के निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप 31 टाटा सूमो गोल्ड क्रय किये जाने हेतु प्रति वाहन रूपया-5,71,389/- की दर से कुल रूपये-1,77,13,059/- (रूपये एक करोड़ सतहत्तर लाख तेरह हजार उनसठ मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान की गयी थी।

2- भारत सरकार की अधिसूचना संख्या- 5/2017 दिनांक 11-09-2017 द्वारा जी0एस0टी0 सेस 7 प्रतिशत बढ़ जाने के कारण स्वीकृत वाहनों की कीमत प्रति वाहन रूपया-5,71,389/- के स्थान पर रूपया-5,99,359/- हो जाने के कारण प्रति वाहन अन्तर धनराशि रूपये 27970/- की दर से उक्त शासनादेश दिनांक 15-09-2017 द्वारा स्वीकृत 31 टाटा सोमो गोल्ड के क्रय हेतु रूपये 8,67,070/- (रूपये आठ लाख सरसठ हजार सत्तर मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन राजस्वपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहनों का क्रय किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलाम किये गये वाहन सरकारी वाहन ही थे तथा वाहन के प्रतिस्थापन में द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
- (2) उक्त वाहनों का क्रय निर्धारित क्रय प्रक्रिया एवं सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वाहन का क्रय स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही किया जायेगा।
- (3) भारत सरकार द्वारा डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर अनुबन्ध की व्यवस्था समाप्त करते हुए गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लस जी0ई0एम0 पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने की व्यवस्था

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रतिपादित किये जाने का उल्लेख है। अतः उक्त वाहनो का क्रय स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही जी0ई0एम0 पोर्टल की दरे अथवा डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरे, जो भी न्यूनतम हो और लागू हो, पर किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-50, लेखाशीर्षक-2053-जिलाप्रशासन-093- जिला स्थापनाएं-03-कलेक्टरी स्थापना-14-मोटर गाडियों का क्रय मद से किया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि से संबंधित बजट जनपदों को आनलाइन करने की कार्यवाही राजस्व परिषद द्वारा तत्काल सुनिश्चित की जायेगी ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-ई-5-747/दस-2017 दिनांक; 27 अक्टूबर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(धीरज पाण्डे)

विशेष सचिव।

संख्या- 14/2017/1667(1)एक-4-17-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 3- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- 4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
- 5- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-2।
- 6- राजस्व अनुभाग-6
- 7- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।